


# NATIONAL RURAL LIVELIHOODS MISSION

## Mission Document



Ministry of Rural Development  
Government of India  
New Delhi




# NATIONAL RURAL LIVELIHOODS MISSION

Mission Document



Ministry of Rural Development  
Government of India





**A nation's culture resides in the hearts  
and in the soul of its people.**

*Mohan Das Karam Chand Gandhi*

---

# Introduction

The mandate of the Ministry of Rural Development (MoRD), GoI is rural poverty alleviation through programmes directly targeted at the rural poor households. Within the 'directly targeted' category, there are programmes focused on wage employment and programmes focused on self-employment. The Swarnajayanti Grameen Swarojgar Yojana (SGSY) is the Ministry programme which focuses on self-employment. This programme was launched in the year 1999, by restructuring the Integrated Rural Development Programme (IRDP).

The cornerstone of the SGSY strategy was that the poor need to be organised and their capacities built up systematically so that they can access self-employment opportunities. In the 10 years of implementing SGSY, there has developed a widespread acceptance in the country of the need for poor to be organised into SHGs as a pre-requisite for their poverty reduction.

Comprehensive reviews of SGSY have brought into focus several shortcomings like vast regional variations in mobilisation of rural poor; insufficient capacity building of beneficiaries; insufficient investments for building community institutions; and weak linkages with banks leading to low credit mobilization and repeat financing. Several states

have not been able to fully utilise the funds received under SGSY due to lack of dedicated human resources and appropriate delivery systems. In the absence of aggregate institutions of the poor, such as the SHG federations, the poor households could not access higher order support services for productivity enhancement, marketing linkage, risk management, etc. SGSY has been found to be more successful wherever systematic mobilisation of the poor into SHGs and their capacity building and skill development has been taken up in a systematic manner. In other places, the impact has not been significant.

The magnitude of the task of rural poverty alleviation through direct interventions in self-employment is enormous. Out of the estimated 7.0 crore rural BPL households, 4.5 crore households still need to be organised into SHGs. A significant number of these households are extremely vulnerable. Even the existing SHGs need further strengthening. It was in this background that Government have approved the restructuring of SGSY as the National Rural Livelihoods Mission (NRLM), to be implemented in a mission mode across the country. NRLM builds on the core strengths of the SGSY and incorporates the important lessons from large scale experiences in the country.

**NRLM has an ambitious mandate.** It aims to reach out to all the rural poor families (BPL families) and link them to sustainable livelihoods opportunities. It will nurture them till they come out of poverty and enjoy a decent quality of life. To achieve this, NRLM will put in place dedicated and sensitive support structures at various levels. These structures will work towards organising the poor, building their capacities and the capacities of their organisations, enabling them access to finance and other livelihoods resources. The support institutions will play the roles of initiating the processes of organising them in the beginning, providing the livelihoods services and sustaining the livelihoods outcomes subsequently. The support structures will also work with the unemployed rural poor youth for skilling them and providing employment either in jobs, mostly in high growth sectors, or in remunerative self-employment and micro-enterprises.

The Institutions of the poor – SHGs, their federations and livelihoods collectives - provide the poor the platforms for collective action based on self-help and mutual cooperation. They become a strong demand system. They build linkages with mainstream institutions, including banks, and Government departments to address their core livelihoods issues and other dimensions of poverty. These institutions provide savings, credit and other financial services to meet their priority needs. These include consumption needs, debt redemption, food and health security and livelihoods. They augment knowledge, skills, tools, assets, infrastructure, own funds and other resources for the members. They increase incomes, reduce expenditures, increase gainful employment and reduce risks for their members. They also increase their voice, space and bargaining power in dealing with service providers.

Mobilising the poor into their institutions needs to be induced by an external sensitive support structure. Government agencies, NGOs and civil society organisations, Local self governments, banks and corporate sector can play this role. With time, as the **institutions of poor** grow and mature, they themselves become sensitive support structures

and **institutions for the poor**. The dependence on external support structures should decline over time. Their successful and empowered members and leaders take charge of and accelerate many of these processes. Thus, the **programme for the poor** becomes the **programme by the poor**. These two transitions are critical for the success of NRLM. Poverty is a complex and multidimensional phenomenon. The institutions of poor therefore need to engage in many sectors and with several service providers. Their ability and effectiveness improves with time and experience. However, after the initial learning curve, the progress picks up speed with quality.

Based on MoRD's extensive consultations with various stakeholders including the State Governments, Civil Society Organisations, Bankers and academicians, the NRLM 'Framework for Implementation' has been developed. NRLM is a learning mission and learns from all the best practices of poverty eradication and also from failures. Like the Mission, its 'Framework for Implementation' is a learning, live and dynamic framework. This framework offers space for local plans based on local context and offers space for learning from the experiences in the field as the implementation progresses. Each state would develop its own Operational Guidelines for implementation of NRLM within the broad contours of the framework. Thematic and issue-based National Operational Manuals would also be made available as the implementation progresses.

NRLM endeavours, through its dedicated sensitive support structures and organisations at various levels, to reach out to all the BPL households in the country, and take them out of poverty through building their capacities, financial muscle and access, and self-managed self-reliant institutions; through placement in jobs, and nurturing them into remunerative self-employment and enterprises. The institutions of the poor gradually take charge of supporting their members being in control of their livelihoods, lives and destiny.

---

# Mission, Principles, Values

The core belief of National Rural Livelihoods Mission (NRLM) is that the poor have **innate capabilities and a strong desire to come out of poverty**. They are entrepreneurial, an essential coping mechanism to survive under conditions of poverty. The challenge is to unleash their capabilities to generate meaningful livelihoods and enable them to come out of poverty. The first step in this process is motivating them to form their own institutions. They and their institutions are provided sufficient capacities to manage the external environment, enabled to access finance, and to expand their skills and assets and convert them into meaningful livelihoods. This requires continuous handholding support. An external dedicated, sensitive support structure, from the national level to the sub-district level, is required to induce such social mobilisation, institution building and livelihoods promotion.

Strong institutional platforms of the poor, enable them to build-up their own human, social, financial and other resources. These capabilities enable them to access their rights, entitlements and livelihoods opportunities and services, both from the public and private sector. The social mobilisation process enhances solidarity, voice and bargaining power of the poor. These processes enable them to **pursue viable livelihoods** based on leveraging their own

resources, skills and preferences. Thus, they come out of abject poverty and do not fall back into poverty. NRLM also believes that the programme can be up scaled in a time bound manner, only if it is driven by the **poor**.

## NRLM Mission

“To reduce poverty by enabling the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities resulting in appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong and sustainable grassroots institutions of the poor.”

## NRLM Guiding Principles

- ❖ Poor have a strong desire to come out of poverty, and they have innate capabilities.
- ❖ Social mobilisation and building strong institutions of the poor is critical for unleashing the innate capabilities of the poor.
- ❖ An external dedicated and sensitive support structure is required to induce the social mobilisation, institution building and empowerment process.

- ❖ Facilitating knowledge dissemination, skill building, access to credit, access to marketing, and access to other livelihoods services enables them to enjoy a portfolio of sustainable livelihoods.

## NRLM Values


The core values which guide all the activities under NRLM are as follows:

- ❖ Inclusion of the poorest, and meaningful role to the poorest in all the processes.
- ❖ Transparency and accountability of all processes and institutions.
- ❖ Ownership and key role of the poor and their institutions in all stages – planning, implementation and monitoring.
- ❖ Community self-reliance and self-dependence.

## Approach

Towards building, supporting and sustaining livelihoods of the poor, NRLM harnesses the innate capabilities of the poor, complements them with capacities (information, knowledge, skills, tools, finance and collectivisation) to deal with the rapidly changing external world. Being conscious of the livelihoods activities being varied, **NRLM works on three pillars – enhancing and expanding existing livelihoods options of the poor; building skills for the job market outside; and nurturing self-employed and entrepreneurs.**

Dedicated support structures build and strengthen the institutional platforms of the poor. These platforms, with the support of their built-up human and social capital, offer a variety of livelihoods services to their members across the value-chains of key products and services of the poor. These services





include financial and capital services, production and productivity enhancement services that include technology, knowledge, skills and inputs, market linkages etc. The interested rural BPL youth would be offered skill development after counselling and matching the aptitude with the job requirements, and placed in jobs that are remunerative. Self-employed and entrepreneurial oriented poor would be provided skills and financial linkages and nurtured to establish and grow with micro-enterprises for products and services in demand. These platforms also offer space for convergence and partnerships with a variety of stakeholders, by building an enabling environment for poor to access their rights and entitlements, public services and innovations. The aggregation of the poor, through their institutions, reduces transaction costs to the individual members, makes their livelihoods more viable and accelerates their journey out of poverty.

NRLM implementation is in a Mission Mode. This enables: (a) shift from the present allocation based strategy to a **demand driven strategy**,

enabling the states to formulate their own livelihoods-based poverty reduction action plans, (b) focus on targets, outcomes and time bound delivery, (c) continuous capacity building, imparting requisite skills and creating linkages with livelihoods opportunities for the poor, including those emerging in the organised sector, and (d) monitoring against targets of poverty outcomes. As NRLM follows a demand driven strategy, the States have the **flexibility to develop their livelihoods-based perspective plans and annual action plans for poverty reduction**. The overall plans would be within the allocation for the state based on inter-se poverty ratios.

The second dimension of demand driven strategy implies that the ultimate objective is that **the poor will drive the agenda**, through participatory planning at grassroots level, implementation of their own plans, reviewing and generating further plans based on their experiences. The plans will not only be demand driven, they will also be dynamic. NRLM recognises and values the iterative nature of the processes.

---

# Key Features of NRLM

## Social Inclusion and Institutions of the Poor

- 1. Universal Social Mobilisation:** To begin with, NRLM would ensure that at least one member from each identified rural poor household, preferably a woman, is brought under the Self Help Group (SHG) network in a time bound manner. Subsequently, both women and men would be organised for addressing livelihoods issues i.e. farmers organisations, milk producers' cooperatives, weavers associations, etc. All these institutions are inclusive and no poor would be left out of them. NRLM would ensure adequate coverage of vulnerable sections of the society such that 50% of the beneficiaries are SC/STs, 15% are minorities and 3% are persons with disability, while keeping in view the ultimate target of 100% coverage of BPL families.
- 2. Promotion of Institutions of the poor:** Strong institutions of the poor such as SHGs and their village level and higher level federations are necessary to provide space, voice and resources for the poor, and for reducing their dependence on external agencies. They empower them. They also act as instruments of knowledge and technology dissemination,

and hubs of production, collectivisation and commerce. NRLM, therefore, would focus on setting up these institutions at various levels.

In addition, NRLM would promote specialised institutions like Livelihoods collectives, producers' cooperatives/companies for livelihoods promotion through deriving economies of scale, backward and forward linkages, and access to information, credit, technology, markets etc. The Livelihoods collectives would enable the poor to optimise their limited resources.

There are existing institutions of the poor women formed by Government efforts and efforts of NGOs. NRLM would strengthen all existing institutions of the poor in a partnership mode. The self-help promoting institutions both in the Government and in the NGO sector would be supported. Further, existing institutions and their leaders and staff would be used as spearhead teams to support the processes of forming and nurturing new institutions.

- 3. Training, Capacity building and skill building:** NRLM would ensure that the poor are provided with the requisite skills for: managing their institutions, linking up with markets,

managing their existing livelihoods, enhancing their credit absorption capacity and credit worthiness, etc. A multi-pronged approach is envisaged, for continuous capacity building of the targeted families, SHGs, their federations, government functionaries, bankers, NGOs and other key stakeholders. Particular focus would be on developing and engaging community professionals and community resource persons for capacity building of SHGs and their federations and other collectives. NRLM would make extensive use of ICT to make knowledge dissemination and capacity building more effective.

4. **Revolving Fund and Capital Subsidy:** Subsidy would be available in the form of revolving fund and capital subsidy. The Revolving Fund would be provided to the SHGs (where more than 70% members are from BPL households) as an incentive to inculcate the habit of thrift and accumulate their own funds towards meeting their credit needs in the long-run and immediate consumption needs in the short-run. Subsidy would be a corpus and used for meeting the members' credit needs directly and as catalytic capital for leveraging repeat bank finance. The key to coming out of poverty is continuous and easy access to finance, at reasonable rates, till they accumulate their own funds in large measure.
5. **Universal Financial Inclusion:** NRLM would work towards achieving universal financial inclusion, beyond basic banking services to all the poor households, SHGs and their federations. NRLM would work on both demand and supply side of Financial Inclusion. On the demand side, it would promote financial literacy among the poor and provides catalytic capital to the SHGs and their federations. On the supply side, it would coordinate with the financial sector and encourage use of Information, Communication & Technology

(ICT) based financial technologies, business correspondents and community facilitators like 'Bank Mitras'. It would also work towards universal coverage of rural poor against loss of life, health and assets. Further, it would work on remittances, especially in areas where migration is endemic.

6. **Provision of Interest Subsidy:** The rural poor need credit at low rate of interest and in multiple doses to make their ventures economically viable. In order to ensure affordable credit, NRLM has a provision for subsidy on interest rate above 7% per annum for all eligible SHGs, who have availed loans from mainstream financial institutions, based on prompt loan repayment. This subsidy would be available to SHGs, where at least 70% of the members are from BPL households, till a member accesses credit, through repeat cumulative loaning, up to Rs 1.00 lakh per household. The interest subsidy would not be applicable when a SHG avails capital subsidy. However, interest subsidy would be provided to this SHG, when they avail a fresh loan after repaying the capital subsidy linked loan.

## Livelihoods

7. Poor have **multiple livelihoods** as a coping mechanism for survival. Their existing major livelihoods are: wage labour, small and marginal holding cultivation, cattle rearing, forest produce, fishing, and traditional non-farm occupations. The net incomes and employment days from the current livelihoods are not adequate to meet their expenditures. NRLM would look at the entire portfolio of livelihoods of each poor household, and work towards stabilising and enhancing the existing livelihoods and subsequently diversifying their livelihoods.
8. **Infrastructure creation and Marketing support:** NRLM would seek to ensure that

the infrastructure needs for key livelihoods activities of the poor are fully met. It would also provide support for marketing to the institutions of the poor. The range of activities, in marketing support, includes market research, market intelligence, technology, extension, developing backward and forward linkages and building livelihoods collectives and supporting their business plans. NRLM would encourage and support partnerships with public and private organisations and their networks/associations for these activities, particularly for market linkages. Rural Haats would also be encouraged to directly link producer groups (SHGs) and individual producers with urban and peri-urban markets through a well developed system of continuous identification and rotation of beneficiaries. **20% of the state's programme outlay** is reserved for this purpose.

9. **Skills and Placement Projects:** NRLM would pursue skill upgradation and placement projects through partnership mode as it is one of the best investments in youth, and provides impetus to livelihoods opportunities in emerging markets. For strengthening this, various models of partnerships with public, private, non-government and community organisations would be developed. A strong relationship would also be developed with industry associations and sector specific employers' associations. National Skill Development Corporation (NSDC) would be one of the leading partners in this effort. **15% of the central allocation** under NRLM is earmarked for this purpose.

10. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** NRLM encourages public sector banks to set up RSETIs in all districts of the country. RSETIs transform unemployed rural youth in the district into confident self-employed entrepreneurs through need-based experiential learning programme followed by systematic handholding support. Banks are

completely involved in selection, training and post training follow-up stages. RSETIs partner with others, including the institutions of the poor, to realise their mandate and agenda.

11. **Innovations:** NRLM believes that successful innovations can reduce the learning curve for poverty eradication by showing a better pathway or a different pathway out of poverty. **5% of the Central allocation** is earmarked for innovations. They should be end-to-end solutions and have a clear mandate of transferring knowledge and capabilities to the livelihoods organisations of the poor. Those innovations which have the potential for reaching out specifically to the poorest; or for reaching out to the largest number of poor; and having maximum impact with limited resources would be preferred and supported.

## Convergence and partnerships

12. **Convergence:** NRLM would place a very high emphasis on convergence with other programmes of the Ministry of Rural Development and other Central Ministries, and programmes of state governments for developing synergies directly and through the institutions of the poor.

13. **Partnerships with NGOs and other CSOs:** NRLM would proactively seek partnerships with Non-Government Organisations (NGOs) and other Civil Society Organisations (CSOs), at two levels - strategic and implementation. The partnerships would be guided by NRLM's core beliefs and values, and mutual agreement on processes and outcomes. NRLM would develop a national framework for partnerships with NGOs and other CSOs. Further, NRLM would seek partnerships with various other stakeholders at various levels directly, or through the institutions of the poor.



**14. Linkages with PRIs:** In view of the eminent roles of Panchayat Raj Institutions (PRIs) that include governance, agency, commercial and political, it is necessary to consciously structure and facilitate a mutually beneficial working relationship between Panchayats and institutions of the poor, particularly at the level of Village Panchayats. Formal mechanisms would need to be established for regular consultations between the institutions of the poor and the PRIs for exchange of mutual advice, support and sharing of resources. However, care would be taken to protect their autonomy. Where there are no PRIs, the linkages would be with traditional local village institutions.

## Sensitive Support

**15. External Sensitive Support Structures:** NRLM's process-intensive effort would require dedicated human resources. Realising this, NRLM would be setting up sensitive and dedicated support structures at the **National, State, district and sub-district levels**. NRLM Advisory, Coordination and Empowered Committees and National Mission Management Unit at the national level, State Rural Livelihoods Missions (SRLMs) as autonomous bodies and State Mission Management Units at state level, District Mission Management Units at district level, and sub-district units at block and/or cluster levels would constitute these support structures. These structures would have suitable linkages with Government(s), District Rural Development Agencies (DRDAs), and PRIs. The governance of DRDAs would be revitalized with representatives of institutions of the poor and professionalised so that they respond better to meeting the needs of the poor. These support structures would be staffed with professionally competent and dedicated human resources through

appropriate arrangements including partnerships and outsourcing of services. A clear objective of this support structure is to incubate an **internal sensitive support structure**, consisting of the institutions of the poor, their staff and other social capital. Over time, the role of the internal support structure should increase and replace the external structure in many of these processes.

**16. Technical Support:** NRLM would provide technical assistance to the States and all other partners for creating and strengthening their institutional capacities for its effective implementation. It would build national knowledge management and learning forums/systems. It would facilitate partnerships between institutions of the poor and banking sectors, public and private sectors, for ensuring last mile service delivery to reach the poor. It would build a national pool of experts, practitioners and advisers in all the relevant disciplines including social mobilisation, institution building, microfinance, livelihoods, skill development, entrepreneurship etc. They would provide handholding support to SRLMs for developing and executing state poverty reduction strategies.

**17. Monitoring and Learning:** NRLM would monitor its results, processes and activities through web-enabled comprehensive MIS, regular meetings of the Performance Review Committee, visits by senior colleagues, Local, District, State and National Monitoring Groups and the mechanisms of Review and Planning Missions. Process monitoring studies, thematic studies and impact evaluations would provide inputs to the above. It would also promote social accountability practices to introduce greater transparency. This would be in addition to the mechanisms that would be evolved by SRLMs and state governments. The learning from one another underpins the key processes of learning in NRLM.

**18. Funding Pattern:** NRLM is a Centrally Sponsored Scheme and the financing of the programme would be shared between the Centre and the States in the ratio of 75:25 (90:10 in case of North Eastern States including Sikkim; completely from the Centre in case of UTs). The Central allocation earmarked for the States would broadly be distributed in relation to the incidence of poverty in the States.

**19. Phased Implementation:** Social capital of the poor consists of the institutions of the poor, their leaders, community professionals and more importantly community resource persons (poor women whose lives have been transformed through the support of their institutions). Building up social capital takes some time in the initial years, but it multiplies rapidly after some time. If the social capital of the poor does not play the lead role in NRLM, then it would not be a people's programme. Further, it is important to ensure that the quality and effectiveness of the interventions is not diluted. Therefore, a phased implementation approach is adopted in NRLM. **NRLM would reach all districts and blocks by the end of 12<sup>th</sup> Five-year Plan.**

The blocks that are taken up for intensive implementation of NRLM, would have access to a full complement of trained professional

staff and cover a whole range of activities of universal and intense social and financial inclusion, livelihoods, partnerships etc. However, in the remaining blocks or non-intensive blocks, the activities may be limited in scope and intensity. The outlays in these blocks would be limited to the State average allotment for these blocks under the present SGSY.

**20. Transition to NRLM:** All States/UTs would have to transit to NRLM within a period of one year from the date of formal launch of NRLM. Further funding under SGSY ceases thereafter.

**21. Agenda before NRLM:** NRLM has set out with an agenda to reach out, mobilise and support 7.0 crore BPL households across 600 districts, 6000 blocks, 2.5 lakh Gram Panchayats, in 6.0 lakh villages in the country into their self-managed SHGs and their federal institutions and livelihoods collectives. NRLM's long-term dedicated sensitive support would be with them and extend facilitation support in all their efforts to get out of poverty. In addition, the poor would be facilitated to achieve increased access to their rights, entitlements and public services, diversified risk and better social indicators of empowerment.

---

# Economic Assistance/Financial Norms/Ceilings

- 1. Formation of SHGs:** Rs. 10,000 per SHG to be given to NGOs/CBOs/Community Coordinators/Facilitators/Animators towards group formation and development.
- 2. Revolving Fund (RF):** As a corpus to SHG with a minimum of Rs. 10,000 to a maximum of Rs. 15,000 per SHG. This is given to all SHGs that have not received RF earlier. Only those SHGs with more than 70% BPL members are eligible for RF.
- 3. Capital Subsidy (CS):** Capital subsidy ceiling is applicable, both for members of SHGs and individual beneficiaries @Rs. 15,000 per general category and Rs. 20,000 per SC/ST category. The maximum amount of subsidy that an SHG is eligible for is Rs. 2.50 lakh. Only BPL members are eligible for individual subsidy, and only those SHGs with more than 70% BPL members are eligible for the subsidy to SHGs.
- 4. Capacity building and skills training - Rs. 7,500 per beneficiary:** The amount available under this component is used for training and capacity building not only of the beneficiaries but also of all other stakeholders, including programme officers and staff, community professionals, concerned government officials, NGOs, PRI functionaries etc. Expenditure on exposure visits and immersion visits is also to be covered under this component. The skills training here refer to member level training for self-employment and are distinct from the Placement-linked Skills training.
- 5. Interest subsidy:** Subsidy on interest rate above 7% per annum for all SHG loans availed from banks, based on prompt repayment. Interest subsidy would be provided to an individual beneficiary or SHG member till he/she has availed a bank loan up to an amount of Rs 1.00 lakh. It is expected that there will be repeat doses of financing to members in SHGs and this limit of 1.0 Lakh is the cumulative loan availed by a member (household). This subsidy is not available on such occasions when the SHG is availing capital subsidy.
- 6. One time grant for corpus fund for sustainability and effectiveness of federations:**
  - ◆ Rs 10,000 for Village/Panchayat level federation
  - ◆ Rs 20,000 for Block level federation
  - ◆ Rs 100,000 for District level federation
- 7. Administrative expenses:** 5% of the allocation, net of the component relating to skill development & placement and net of the component of RSETIs. This amounts to


5% of Central release to the State and the corresponding State share.

8. **Infrastructure and Marketing:** Up to 20% (25% in case of north eastern states and Sikkim) of the Central share and State share of allocation i.e. state's programme outlay.
9. **Skills and Placement Projects and Innovations (20% of the Central allocation):** Expenditure on innovative

projects should not exceed 5%; and the remaining 15% is for placement linked skill development projects. 50% of the allocation for placement linked skill development projects (7.5% of total allocation) is retained at the centre for multi-state skill development projects and the balance is allocated to states to implement state specific skill development and placement projects. The States have to add the corresponding state share to the amount released to them.



# राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मिशन दस्तावेज



ग्रामीण विकास मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली




# राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

मिशन दस्तावेज



ग्रामीण विकास मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली





राष्ट्र की संस्कृति लोगों के आत्मा और दिल में रहती है।

मोहन दास करम चंद गाँधी



---

# भूमिका

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य सीधे ग्रामीण निर्धन परिवारों को लक्ष्य में रखने वाले कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण गरीबी को दूर करना है। 'प्रत्यक्ष रूप से लक्षित' श्रेणी में ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) इस मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्व-रोजगार पर बल दिया जाता है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) को पुनर्गठित करते हुए वर्ष 1999 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।

निर्धनों को संगठित किए जाने की तथा उनकी क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत एसजीएसवाई की कार्यनीति की मुख्य विशेषता थी ताकि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर मिल सकें। एसजीएसवाई के कार्यान्वयन के 10 वर्षों में देश में निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने की जरूरत को, जो कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए पूर्व अपेक्षित है, व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

एसजीएसवाई की गहन समीक्षाओं से ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं; लाभार्थियों में अपर्याप्त क्षमता निर्माण; सामुदायिक संस्थान बनाने के लिए अपर्याप्त निवेश; और बैंकों के साथ कम संपर्क जिसकी वजह से ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है तथा बारंबार वित्त पोषण जैसी अनेक

कमियों का पता चला है। अनेक राज्य समर्पित मानव संसाधनों एवं उपयुक्त सुपुर्दगी प्रणालियों की कमी की वजह से एसजीएसवाई के अंतर्गत मिली निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाए हैं। एसएचजी परिसंघों जैसी समूह संस्थाओं की अनुपस्थिति में निर्धन परिवार उत्पादकता संवर्धन, विपणन संपर्क, जोखिम प्रबंधन आदि के लिए उच्च श्रेणी की सहायक सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जहां कहीं भी निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में व्यवस्थित रूप से एकजुट किया गया है और व्यवस्थित तरीके से उनकी क्षमता का निर्माण एवं कौशल विकास किया गया है वहां एसजीएसवाई को काफी अधिक सफल पाया गया है। अन्य स्थानों में पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा है।

स्व-रोजगार में प्रत्यक्ष पहलों के जरिए ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला कार्य का क्षेत्र काफी विशाल है। अनुमानित 7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों में से 4.5 करोड़ परिवारों को अभी भी स्व-सहायता समूहों में संगठित किए जाने की जरूरत है। इन परिवारों में से काफी अधिक परिवार अत्यंत उपेक्षित हैं। यहां तक कि मौजूदा एसएचजी को भी और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है जिसे देश भर में मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। एनआरएलएम में एसजीएसवाई के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और इसमें

देश में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए अनुभवों की प्रमुख सीखों को समाविष्ट किया गया है।

**एनआरएलएम का कार्य काफी अधिक महत्वाकांक्षी है।** इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों (बीपीएल परिवारों) तक पहुंचना और उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर मुहैया कराना है। यह उस समय तक उनका पालन-पोषण करता रहेगा जब तक वे गरीबी से उभरकर सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत न करने लगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनआरएलएम में विभिन्न स्तरों पर समर्पित एवं संवेदनशील सहायक संरचनाएं बनाई गई हैं। ये संरचनाएं निर्धनों को संगठित करने, उनकी तथा उनके संगठनों की क्षमताओं का निर्माण करने, निधियां और अन्य आजीविका संबंधी संसाधन प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाने की दिशा में कार्य करती हैं। सहायक संस्थाएं प्रारंभ में उन्हें संगठित करने की प्रक्रिया शुरू करने, आजीविका संबंधी सेवाएं मुहैया कराने और बाद में आजीविका परिणामों को बरकरार रखने की भूमिका निभाती हैं। सहायक संरचनाएं हुनर विकास के लिए ग्रामीण बेरोजगार निर्धन युवकों के साथ मिलकर कार्य करेंगी और उन्हें या तो अधिक विकास वाले क्षेत्रों में या लाभप्रद स्व-रोजगार और माइक्रो इन्टरप्राइजेज में काम दिलवाएगी।

निर्धनों की संस्थाएं—एसएचजी, उनके परिसंघ और आजीविका समूह—ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता और परस्पर सहयोग पर आधारित सामूहिक कार्यवाही के लिए एक मंच मुहैया कराती हैं। वे मांग की एक सशक्त प्रणाली बन जाती है। वे बैंकों और सरकारी विभागों सहित प्रमुख संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाती है ताकि उनके आजीविका संबंधी प्रमुख मुद्दों तथा गरीबी के अन्य आयामों का समाधान किया जा सके। ये संस्थाएं उनकी प्राथमिकता आधारित जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत जमा और अन्य वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं। इनमें उपभोग संबंधी जरूरतें, ऋण से राहत, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आजीविका शामिल हैं। ये कौशल, ज्ञान, साधनों, आधारभूत सुविधा, स्वयं की निधियों और सदस्यों के लिए अन्य संसाधनों का संवर्धन करती हैं। ये आय को बढ़ाती हैं, खर्च को कम करती हैं, लाभप्रद रोजगार को बढ़ाती हैं तथा अपने सदस्यों के लिए जोखिमों को कम करती हैं।

ये सुविधाप्रदाताओं से कारोबार के दौरान उनकी तोलमोल की शक्ति को बढ़ाती हैं।

निर्धनों को उनकी संस्थाओं में बाह्य संवेदनशील सहायक संरचना के जरिए एकजुट करने की जरूरत है। सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी संगठन, स्थानीय स्वशासी सरकार, बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र यह भूमिका निभा सकते हैं। समय के साथ-साथ चूंकि निर्धनों की संस्थाएं भी विकसित और परिपक्व हो जाती हैं इसलिए वे स्वयं संवेदनशील सहायक संरचना और निर्धन की संस्थाएं बन जाती हैं। समय बीतने के साथ-साथ बाह्य सहायक संरचनाओं पर निर्भरता कम होगी। उनके सफल और सशक्त सदस्य तथा मुखिया इस कार्य का जिम्मा ले सकते हैं और इनमें से अनेक प्रक्रियाओं में तेजी ला सकते हैं। इस प्रकार **निर्धनों के लिए कार्यक्रम निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम** बन जाता है। ये दो पहलू एनआरएलएम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। गरीबी एक जटिल और बहुआयामी घटना है। इसलिए निर्धन की संस्थाओं को अनेक क्षेत्रों में तथा अनेक सुविधाप्रदाताओं के साथ काम पर लगाए जाने की जरूरत है। समय और अनुभव के साथ-साथ उनकी योग्यताएं और प्रभाविकता भी बढ़ती है तथापि शुरूआती शिक्षण प्रक्रिया के साथ गुणवत्ता के साथ प्रगति में भी तेजी आई है।

राज्य सरकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों, बैंकों और शिक्षाविदों सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के विस्तृत परामर्श के आधार पर कार्यान्वयन के लिए एनआरएलएम का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। एनआरएलएम एक सीखने वाला मिशन है और यह गरीबी उन्मूलन के सभी उत्कृष्ट कार्यों और साथ-साथ अपनी असफलताओं से भी सीख लेता है। यह फ्रेमवर्क स्थानीय विषय पर आधारित स्थानीय योजनाओं के लिए स्थल मुहैया कराता है और जैसे-जैसे कार्यान्वयन आगे बढ़ता है यह क्षेत्र में अनुभवों से सीखने के लिए स्थान मुहैया कराता है। एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को अपना परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए। कार्यान्वयन में प्रगति के साथ-साथ विषय और मामला आधारित राष्ट्रीय परिचालन नियमावली भी उपलब्ध कराई जाएगी।

एनआरएलएम विभिन्न स्तरों पर अपनी समर्पित संवेदनशील सहायक संरचनाओं और संगठनों के जरिए देश में सभी बीपीएल परिवारों तक पहुंचने का और उनकी क्षमताओं, आर्थिक स्थिति एवं स्वप्रबंधित आत्मविश्वासी संस्थाओं का निर्माण करके; नौकरियों में नियोजन के जरिए तथा

उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार तथा उद्यमों में नियोजित करते हुए उन्हें गरीबी से उबारने का प्रयत्न करता है। निर्धन की संस्थाएं अपनी आजीविकाओं, जीवन और भाग्य के अधीन धीरे-धीरे अपने सदस्य की सहायता का जिम्मा ले रही हैं।

# मिशन, सिद्धांत और नैतिक मूल्य

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की मुख्य धारणा यह है कि निर्धनों में गरीबी से उबरने की सहज क्षमता और सशक्त इच्छा होती है। वे उद्यमशील होते हैं और उनमें गरीबी की स्थितियों में गुजर बसर करने की क्षमता होती है। चुनौती इस बात की है कि सार्थक आजीविका सृजित करने के लिए क्षमताओं को उबारा जाए और उन्हें गरीबी से बाहर निकल पाने में समर्थ बनाया जाए। इस प्रक्रिया का पहला चरण उन्हें उनकी स्वयं की संस्थाएं बनाने के लिए प्रेरित करना है। बाह्य माहौल से निपटने, वित्त पोषण प्राप्त करने में समर्थ बनाने और उनके हुनर और परिसंपत्तियों का विस्तार करने तथा उन्हें सार्थक आजीविका में बदलने के लिए उन्हें तथा उनकी संस्थाओं पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए लगातार मौके पर सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है। राष्ट्र स्तर से उप-जिला स्तर तक बाह्य, समर्पित, संवेदनशील सहायक संरचना से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी सामाजिक एकजुटता लाएं, संस्थागत निर्माण करें तथा आजीविका को बढ़ाएं।

निर्धनों का सशक्त संस्थागत मंच उन्हें अपने स्वयं के मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संसाधन तैयार करने में समर्थ बनाता है। इन क्षमताओं से वे सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों से अपने अधिकार, हक तथा आजीविका अवसर और सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया निर्धनों में भाईचारा, अभिव्यक्ति और तोलमोल की शक्ति को बढ़ाती है। इन प्रक्रियाओं से वे अपने स्वयं

के संसाधनों, हुनर और प्राथमिकताओं के स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ व्यवहार्य आजीविका में लगे रह सकते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत निर्धनता से बाहर निकल आते हैं और दुबारा गरीबी के जाल में नहीं फसते। एनआरएलएम यह भी मानता है कि यदि इसे निर्धनों द्वारा संचालित किया जाए तो समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम में प्रगति हो सकती है।

## एनआरएलएम मिशन

“जमीनी स्तर पर निर्धनों की सशक्त एवं स्थायी संस्था बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमंद मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को कम करना जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरंतर आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।”

## एनआरएलएम मार्गदर्शी सिद्धांत

- ❖ निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा होती है और उनमें सहज क्षमताएं भी हैं।
- ❖ निर्धनों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता और सशक्त संस्थाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है।
- ❖ सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थागत निर्माण तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य समर्पित

और संवेदनशील सहायक संरचना की आवश्यकता है।

- ❖ जानकारी का प्रचार-प्रसार, कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने से वे स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

- ❖ सभी स्तरों-नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रमुख भूमिका।

- ❖ सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।


## एनआरएलएम का नैतिक मूल्य

एनआरएलएम के अंतर्गत सभी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य निम्नानुसार हैं:

- ❖ अत्यंत निर्धनों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यंत निर्धनों के लिए सार्थक भूमिका।
- ❖ सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।

## दृष्टिकोण

गरीबों के क्षमता निर्माण, सहायता और आजीविका सुदृढ़ करने के लिए एनआरएलएम गरीबों की अन्तर्निहित क्षमता का उपयोग करेगा, उनके क्षमता (जानकारी, ज्ञान, कौशल, साधन, वित्त और समेकन) निर्माण में सहयोग करेगा ताकि तेजी से बदलती दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। बदलते आजीविका क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए एनआरएलएम तीन मामलों पर कार्य करेगा:— गरीबों की आजीविका मौजूदा विकल्पों की वृद्धि एवं विस्तार,





## बाजार के बाहर रोजगार बाजार के लिए कौशल विकास और स्वनियोजित व्यक्तियों और उद्यमियों को सहयोग।

समर्पित सहायक संरचना से गरीबों के संस्थागत मंच का निर्माण एवं सुदृढीकरण होगा। ये मंच – अपनी मानवीय एवं सामाजिक पूंजी के सहयोग से गरीबों के मुख्य उत्पादों और सेवाओं की मूल्य श्रृंखला में अपने सदस्यों को विभिन्न आजीविका सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इन सेवाओं में वित्तीय एवं पूंजीगत सेवाएं, उत्पादन एवं उत्पादकता संवर्द्धन सेवाएं जिनमें प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल एवं संसाधन और विपणन संपर्क निहित हैं, शामिल हैं। परामर्श एवं रोजगार आवश्यकताओं के साथ योग्यता का सामंजस्य करने के पश्चात इच्छुक ग्रामीण बीपीएल युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा और उन्हें पारिश्रमिक वाले रोजगार में लगाया जाएगा। स्वनियोजित और उद्यम उन्मुख गरीबों को कौशल संबंधी एवं वित्तीय संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा और मांग के अनुसार उत्पादों एवं सेवाओं के लिए लघु उपक्रमों के साथ स्थापित एवं संवृद्ध करने के लिए सहयोग दिया जाएगा। ये मंच गरीबों के लिए सहायक वातावरण पैदा कर विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ तालमेल एवं भागीदारी के लिए जगह उपलब्ध कराता है ताकि वे अपने अधिकार एवं हकदारी, जन सेवाएं एवं अभिनव सुविधाएं प्राप्त कर सकें। गरीबों के समेकन से व्यक्ति अपनी-अपनी संस्थाओं के जरिए अलग-अलग सदस्यों को कारोबारी लागत में राहत मिलती है, अपनी आजीविका को अधिक व्यवहार्य बनाता है और गरीबी से शीघ्र बाहर आने में मदद करता है।

एनआरएलएम का कार्यान्वयन मिशन के रूप में किया जा रहा है। यह समर्थकारी बनाता है: (क) वर्तमान आबंटन आधारित कार्यनीति से मांग आधारित कार्यनीतिक की ओर बदलाव, जिससे राज्य को अपनी आजीविका आधारित गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं बनाने में समर्थ बनाता है (ख) लक्ष्यों, परिणामों और समयबद्ध सुपुर्दगी पर ध्यान केन्द्रित करता है, (ग) गरीबों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र में उभरने वाले लोगों के लिए आजीविका के अवसरों के साथ सतत क्षमता निर्माण, पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराना और संपर्क स्थापित करना और (घ) गरीबी दूर करने के लक्ष्य की निगरानी। चूंकि एनआरएलएम मांग आधारित कार्यनीति का अनुसरण करता है इसलिए, राज्यों को गरीबी उपशमन के लिए अपनी आजीविका आधारित संदर्श योजनाएं एवं वार्षिक कार्य योजनाएं बनाने के लिए छूट दी गई है। समग्र योजनाएं आंतरिक गरीबी अनुपात के आधार पर राज्य के लिए आबंटन के भीतर होगी। मांग आधारित कार्यनीति के द्वितीय स्वरूप से तात्पर्य है कि अंतिम उद्देश्य है कि वे निचले स्तर पर भागीदारीपूर्ण आयोजना, अपनी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, अपने अनुभवों के आधार पर भावी योजनाओं की समीक्षा तथा निर्माण के जरिए गरीब कार्यसूची का संचालन करेंगे। ये योजनाएं केवल मांग आधारित नहीं होगी बल्कि वे निरन्तर चलती रहेगी। एनआरएलएम प्रक्रियाओं की पुनरावृत्तीय स्वरूप की पहचान बनाता है।

# एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं

## सामाजिक अन्तर्वेशन और जनसंख्या

- 1. सर्वव्यापी सामाजिक जागरण:** आरंभ में एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य विशेषकर महिला सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वसहायता समूह नेटवर्क में लाया गया है। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों को आजीविका संबंधी मामलों अर्थात् कृषक संगठन, दूध उत्पादक सहकारी संगठन, बुनकर संघ आदि, का समाधान करने के लिए संगठित किया जाएगा। सभी संस्थाएं समावेशी हैं और उनमें से किसी गरीब को नहीं छोड़ा जाएगा। एनआरएलएम समाज के दुर्बल वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगा जिससे कि बीपीएल परिवारों के शत-प्रतिशत कवरेज के अंतिम लक्ष्य के मद्देनजर 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं, 15 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक और 3 प्रतिशत लाभार्थी अपंग व्यक्ति में से हो।
- 2. जन संस्थाओं को बढ़ावा:** गरीबों की सुदृढ़ संस्था यथा – स्वसहायता समूह और उनके ग्राम स्तरीय तथा उच्च स्तरीय परिसंघ गरीबों के लिए स्थान, भूमिका और संसाधन उपलब्ध कराना और बाहरी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है। वे उन्हें अधिकार संपन्न बनाते हैं। वे ज्ञान के साधन तथा प्रौद्योगिकी प्रसार और उत्पादन, सामूहिकीकरण और वाणिज्य केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एनआरएलएम अधिक उत्पादन, हरसंभव सहायता, सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि उपलब्ध कराकर विशिष्ट संस्थाओं यथा – आजीविका समूहों, उत्पादन, सहकारी संघों कंपनियों को बढ़ावा देगा।

आजीविका समूह गरीबों को अपने सीमित संसाधनों का अनुकूल उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों द्वारा निर्मित गरीब महिलाओं के संगठन हैं। एनआरएलएम सभी मौजूदा संस्थाओं को साझेदारी स्वरूप में सुदृढ़ बनाएगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों में स्वसहायता संवर्द्धन संस्था की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा संस्थाओं और उनके प्रधान एवं स्टाफ का अग्रणी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाएगा ताकि नई संस्थाएं बनाने और उनका संचालन करने की प्रक्रिया को सहयोग दिया जा सके।

- 3. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण:** एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि गरीबों को निम्नलिखित के लिए पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराएगा: अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करना, बाजार के साथ संपर्क स्थापित करना, मौजूदा आजीविका का प्रबंधन करना, उनकी ऋण उपयोग क्षमता तथा ऋण साख बढ़ाना। लक्षित परिवारों, स्व-सहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कर्मियों, बैंकरों,

गैर-सरकारी संगठनों और अन्य मुख्य स्टेकहोल्डरों के लिए बहु-सूत्रीय दृष्टिकोण की संकल्पना की गई है। स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों तथा अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक पेशेवरों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को कार्य में लगाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। एनआरएलएम ज्ञान-प्रसार और क्षमता निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग करेगा।

4. **परिक्रामीनिधि और पूंजीगत सब्सिडी:** सब्सिडी परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगी। स्वसहायता समूहों (जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक सदस्य बीपीएल परिवारों में से हैं) को प्रोत्साहन राशि के रूप में परिक्रामी निधि उपलब्ध करायी जाएगी ताकि वे बचत की आदत बना सकें तथा अपनी दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं तथा उपभोग संबंधी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां संचित कर सकें। सब्सिडी समूह के रूप में होगी और सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और बैंक वित्तपोषण को लाभ लेने के लिए प्रेरक पूंजी के रूप में होगी। गरीबी से बाहर आने के लिए युक्तिसंगत दरों पर वित्त की सतत एवं सहज उपलब्धता आवश्यकता है जबकि वे बड़ी मात्रा में अपनी निधियां संचित न कर लें।
5. **सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन:** एनआरएलएम सभी गरीब परिवारों, स्वसहायता समूहों के अतिरिक्त सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए कार्य करेगा। एनआरएलएम वित्तीय समावेशन के मांग एवं आपूर्ति पक्ष से संबंधित कार्य करेगा। मांग पक्ष की ओर यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देगा और स्वसहायता समूहों एवं उनके परिसंघों को प्रेरक पूंजी उपलब्ध कराएगा। आपूर्ति पक्ष की ओर यह वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करेगा तथा सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, बिजनेस कॉरसपोन्डेंट एवं सामुदायिक सुविधादाता यथा – बैंक मित्र के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह मृत्यु, स्वास्थ्य एवं परिसंपत्तियों के नष्ट होने की स्थिति में ग्रामीण गरीब के सर्वव्यापी कवरेज के लिए

कार्य करेगा। साथ ही, यह विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पलायन स्थानिक है, भेजी हुई रकम से संबंधित कार्य करेगा।

6. **ब्याजगत सब्सिडी उपलब्ध कराना:** ग्रामीण गरीबों को कम ब्याज दर पर तथा विविध मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है ताकि उनके प्रयासों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत सभी पात्र स्वसहायता समूहों जिन्होंने तत्काल ऋण अदायगी के आधार पर मुख्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है, के लिए 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। जब तक कोई सदस्य पुनरावृत्त संचयी ऋण के जरिए प्रति सदस्य 1.00 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त करता है, यह सब्सिडी स्वसहायता समूहों को उपलब्ध होगी जहां कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य बीपीएल परिवार से हैं। जब स्वसहायता समूह को पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त होती है; ब्याजगत सब्सिडी लागू नहीं होगी। तथापि, ब्याजगत सब्सिडी स्वसहायता समूह को तब दी जाएगी जब वे पूंजीगत सब्सिडी संबद्ध ऋण अदायगी करने के बाद नया ऋण प्राप्त करते हैं।

## आजीविका

7. **जीवन-यापन के लिए साधन तंत्र के रूप में गरीबों की विविध आजीविका** होती है। उनकी मौजूदा प्रमुख आजीविकाएं हैं: मजदूरी श्रम, लघु एवं सीमांत कृषि, पशुपालन वनोपज, मत्स्यपालन और पारंपरिक गैर-कृषि व्यवसाय। वर्तमान आजीविका से निवल आय और रोजगार दिवस उनके व्यय की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एनआरएलएम प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आजीविका के स्वरूप पर विचार करेगा तथा मौजूदा आजीविका को स्थायी एवं समृद्ध करने के लिए कार्य करेगा एवं तत्पश्चात उनकी आजीविका को विविधता प्रदान करेगा।
8. **अवसंरचना सृजन और विपणन सहायता:** एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि गरीबों की आजीविका संबंधी मुख्य क्रियाकलापों के लिए अवसंरचनात्मक

आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी हो। यह गरीब की संस्थाओं को विपणन सहायता भी उपलब्ध कराएगा। विपणन सहायता में अनेक क्रियाकलापों में बाजार अनुसंधान, बाजार ज्ञान प्रौद्योगिकी, विस्तार, हर संभव सहायता उपलब्ध कराना, आजीविका समूह बनाना तथा उनकी कार्य योजनाओं में सहयोग देना शामिल है। इन क्रियाकलापों—विशेषकर बाजार संपर्क के लिए एनआरएलएम सार्वजनिक और निजी संगठनों तथा उनके नेटवर्क/संघ के साथ साझेदारी को प्रोत्साहन एवं सहयोग देगा। ग्रामीण हाटों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे लाभार्थियों के सतत निर्धारण एवं अनुक्रम की सुविधसित तंत्र के जरिए उत्पादक समूहों शहरी एवं शहर के बाहर के बाजारों के अलग-अलग उत्पादकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कायम कर सकें। राज्य का 20 प्रतिशत कार्यक्रम परिव्यय इस प्रयोजनार्थ आरक्षित रखा जाता है।

9. **कौशल एवं नियोजन परियोजनाएं:** एनआरएलएम साझेदारी रीति के जरिए कौशल उन्नयन एवं नियोजन परियोजनाएं जारी रखेगा क्योंकि यह युवाओं में उत्तम निवेश में से एक है और उभरते बाजारों में आजीविका अवसरों को प्रोत्साहन देता है। इसे सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक, निजी, गैर-सरकारी और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी के विभिन्न मॉडल बनाए जाएंगे। औद्योगिक परिसंघों तथा क्षेत्र विशिष्ट कर्मचारी संघों के साथ संबंधों को मजबूत किया जाएगा। इस प्रयास में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) प्रमुख सहभागी होगा। एनआरएलएम के तहत केन्द्रीय आबंटन का 15 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए नियत किया गया है।

10. **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** एनआरएलएम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरएसईटीआई संस्थानों के माध्यम से जिले के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को आत्मविश्वासी स्व-रोजगारी उद्यमियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए आवश्यकता आधारित अनुभवजन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवस्थित

हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। चयन, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण पश्चात चरणों में बैंकों को शामिल किया जाता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आरएसईटीआई निर्धनों के संस्थानों सहित अन्यो का सहयोग लेते हैं।

11. **नई पहलें:** एनआरएलएम के अनुसार, नई पहलों से निर्धनता को दूर करने के कई मार्ग प्रशस्त होंगे। केन्द्रीय आबंटन का 5 प्रतिशत नई पहलों के लिए नियत किया जाता है। वे परिपूर्ण समाधान होने चाहिए और उनमें निर्धनों के आजीविका संगठनों को जानकारी उपलब्ध कराने एवं उनके क्षमता निर्माण का स्पष्ट अधिदेश निहित होना चाहिए। ऐसी पहलें अपनाई जानी चाहिए जिनसे निर्धनतम लोगों अथवा अधिक से अधिक गरीब लोगों को लाभ मिले और सीमित स्रोतों से अधिकतम प्रभाव पड़े।

## तालमेल एवं सहभागिता

12. **तालमेल:** एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल पर अधिक बल दिया जाएगा, ताकि प्रत्यक्ष तौर पर और निर्धनों की संस्थाओं के माध्यम से तारतम्य स्थापित किया जा सके।

13. **गैर-सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ सहभागिता:** एनआरएलएम के तहत गैर-सरकारी संस्थाओं एवं अन्य सिविल सोसायटी संस्थाओं (सीएसओ) के साथ नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन स्तरों पर सहभागिता की जाएगी। यह सहभागिता, एनआरएलएम में निहित महत्वपूर्ण मान्यताओं तथा मूल्यों और प्रक्रियाओं एवं परिणामों के संबंध में पारस्परिक समझौते के आधार पर होगी। एनआरएलएम के तहत एनजीओ एवं अन्य सीएसओ के साथ सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ प्रत्यक्षतः अथवा निर्धनों की संस्थाओं के माध्यम से सहभागिता की जाएगी।

14. **पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क:** पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें शासन, एजेंसी, व्यवसायिक एवं राजनीतिक भूमिका शामिल है, को देखते हुए विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों तथा निर्धनों की संस्थाओं के बीच एक पारस्परिक लाभकारी कार्य संबंधी संबंध विकसित किए जाने चाहिए। पारस्परिक सलाह, सहायता एवं संसाधनों की हिस्सेदारी हेतु निर्धनों की संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच नियमित परामर्श के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा। तथापि, उनकी स्वायत्तता बनाए रखी जाएगी। जहां पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं, वहां पारंपरिक स्थायी ग्राम संस्थाओं के साथ लिंकेज स्थापित किया जाएगा।

## संवेदनात्मक सहायता

15. **बाह्य संवेदनात्मक सहायता स्वरूप:** एनआरएलएम के प्रक्रियोन्मुख प्रयास के लिए समर्पित मानव संसाधन अपेक्षित होंगे। इसे देखते हुए एनआरएलएम के तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर संवेदी एवं समर्पित सहायता संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर एनआरएलएम सलाहकार, समन्वय एवं अधिकार-प्राप्त समितियां तथा राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन एकक, राज्य स्तर पर स्वायत्त निकायों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) एवं राज्य मिशन प्रबंधन एकक, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन एकक और ब्लॉक तथा/अथवा बस्ती स्तर पर उप-जिला एकक शामिल हैं। ये सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ उपयुक्त रूप से संपर्क बनाए रखेंगी। डीआरडी एजेंसियों में निर्धनों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके तथा इन्हें व्यावसायिक रूप देकर इनके शासन को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि वे निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इनमें सहभागिता एवं सेवाओं की आउटसोर्सिंग सहित उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से व्यावसायिक रूप से दक्ष एवं समर्पित मानव संसाधनों में से स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।

उक्त संरचना का उद्देश्य एक आंतरिक संवेदात्मक सहायता संरचना विकसित करना है, जिसमें निर्धनों की संस्थाओं, उनके स्टाफ तथा अन्य सामाजिक पूंजी को शामिल किया जाएगा। समय के साथ-साथ आंतरिक सहायता संरचना की भूमिका का विस्तार किया जाएगा और ऐसी कई प्रक्रियाओं में बाह्य संरचना के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाएगा।

16. **तकनीकी सहायता:** एनआरएलएम के अंतर्गत इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों तथा अन्य सभी सहभागियों की संस्थागत क्षमताओं के सृजन एवं उनकी सुदृढ़ता के लिए उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी। इससे राष्ट्रीय ज्ञान प्रबंधन एवं शिक्षण मंच/प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे निर्धनों की संस्थाओं तथा बैंकिंग क्षेत्रों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहभागिता बढ़ेगी जिससे निर्धनों को लाभ मिल सकेंगे। इससे सामाजिक एकजुटता, सांस्थानिक निर्माण, माइक्रो-फाइनेंस, आजीविका, कौशल विकास, उद्यमशीलता आदि सहित प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों, प्रैक्टिस करने वालों तथा सलाहकारों का राष्ट्रीय पुल बनाने में सहायता मिलेगी। वे राज्य स्तर पर गरीबी दूर करने संबंधी रणनीतियां बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में एनआरएलएम को मौके पर सहायता उपलब्ध कराएंगे।

17. **निगरानी तथा शिक्षण:** एनआरएलएम द्वारा वेब आधारित समीक्षा समिति (समितियों) की नियमित बैठकों; वरिष्ठ सहकर्मियों, स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रस्तरीय निगरानी समूहों द्वारा दौरों और समीक्षा एवं आयोजना मिशनों की व्यवस्था के माध्यम से अपने परिणामों, प्रक्रियाओं तथा कार्यकलापों की मॉनीटरिंग की जाएगी। प्रक्रिया निगरानी अध्ययनों, विषयात्मक अध्ययनों तथा प्रभाव संबंधी मूल्यांकनों से उपर्युक्त में सहायता मिलेगी। इससे और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक जवाबदेही प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यह एनआरएलएम तथा राज्य सरकारों द्वारा विकसित तंत्रों के अलावा होगा।

18. **वित्तपोषण पद्धति:** एनआरएलएम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इस कार्यक्रम का वित्तपोषण, केंद्र और राज्यों के बीच के 75 : 25 अनुपात (सिक्किम सहित



पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90 : 10, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूर्णतः केन्द्र से) में होगा। राज्यों के लिए नियम केंद्रीय आबंटन का वितरण मोटे तौर पर राज्यों में गरीबी के अनुपात में होगा।

19. **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** निर्धनों की सामाजिक पूंजी में गरीबी की संस्थाएं, उनके नेता, सामुदायिक पेशेवर तथा सामुदायिक सहायता-प्राप्त व्यक्ति (गरीब महिलाएं जिनका जीवन उनकी संस्थाओं के सहयोग से परिवर्तित हुआ है) शामिल हैं। शुरु के वर्षों में सामाजिक पूंजी के निर्माण में कुछ समय लगता है, परन्तु कुछ समय बाद इसमें तेजी से वृद्धि होती है। एनआरएलएम में गरीबों की सामाजिक पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बिना यह जनता का कार्यक्रम नहीं बन सकता। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पहलों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में कमी न आए। इसीलिए, एनआरएलएम के मामले में चरणबद्ध कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में एनआरएलएम की सभी जिलों तथा ब्लॉकों में पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

जिन ब्लॉकों में एनआरएलएम का व्यापक रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा, वहां प्रशिक्षित पेशेवर

स्टॉफ उपलब्ध कराया जाएगा और सार्वभौम एवं गहन सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन, आजीविका, भागीदारी आदि जैसी गतिविधियां निष्पादित की जाएंगी। तथापि, शेष ब्लॉकों या कम सधन ब्लॉकों में गतिविधियां सीमित रूप से होंगी इन ब्लॉकों में परिव्यय, वर्तमान एसजीएसवाई के तहत इनके लिए राज्य औसत आबंटन तक सीमित रहेगा।

20. **एनआरएलएम को लागू करना:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनआरएलएम की औपचारिक शुरुआत से एक वर्ष में इसे लागू करना होगा। इसके बाद एसजीएसवाई के अंतर्गत वित्तपोषण समाप्त हो जाएगा।

21. **एनआरएलएम की कार्यसूची:** एनआरएलएम के अंतर्गत देश के 6.0 लाख गांवों की 2.5 लाख पंचायतों के 6000 ब्लॉकों में 7.0 करोड़ बीपीएल परिवारों के स्व-संचालित एसएचजी एवं उनके संघीय संस्थानों एवं आजीविका प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एनआरएलएम के तहत उन्हें दीर्घकालिक तथा गरीबी दूर करने के उनके प्रयासों में सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, निर्धनों को उनके अधिकारिता के बारे में जागरूक किया जाएगा।

# आर्थिक सहायतावित्तीय मानकसीमा

- स्व-सहायता समूहों का गठन:** समूहों के गठन एवं उनके विकास के लिए एनजीओसीबीओ सामुदायिक समन्वयाकों सुविधादाताओं एनीमेटरों को 10000/- रू0 प्रति समूह दिए जाएंगे।
- परिक्रामी निधि (आरएफ):** एसएचजी के कारपस के रूप में न्यूनतम 10000/- रू0 से लेकर अधिकतम 15000/- रू0 प्रति एसएचजी सहायता दी जाएगी। यह उन सभी एसएचजी को दी जाएगी जिन्होंने पहले आरएफ प्राप्त नहीं किया है। 70 प्रतिशत से अधिक बीपीएल सदस्यों वाले स्व-सहायता समूह ही आर एफ के पात्र हैं।
- पूंजीगत सब्सिडी (सीएस):** एसएचजी के सदस्यों तथा वैयक्तिक लाभार्थियों दोनों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 15000/- रू0 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिए 20,000/- रू0 प्रति अनुसूचित जनजाति श्रेणी की पूंजीगत सब्सिडी सीमा लागू है। प्रत्येक एसएचजी अधिकतम 2.50 लाख रू0 की सब्सिडी के लिए पात्र है। केवल बीपीएल सदस्य वैयक्तिक सब्सिडी के लिए पात्र हैं और 70 प्रतिशत बीपीएल सदस्यों वाले एसएचजी सब्सिडी के पात्र हैं। जहां भी स्वसहायता समूह ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, पूंजीगत सब्सिडी सीधे स्वसहायता समूहों को अथवा उन्हें उनके परिसंघों के माध्यम से दी जाएगी।
- क्षमता निर्माण तथा कौशल प्रशिक्षण:** 7500 रू0 प्रति लाभार्थी – इस घटक के तहत उपलब्ध राशि, न केवल लाभार्थियों बल्कि कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्टॉफ, सामुदायिक पेशेवरों, संबंधित सरकारी कर्मचारियों आदि, एनजीओ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं आदि सहित सभी अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणके लिए उपयोग की जाती है। एक्सपोजर दौरों तथा इमर्शन दौरों पर व्यय को भी इस घटक के तहत कवर किया जाना है। उल्लिखित कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य स्वरोजगार के लिए सदस्य स्तरीय प्रशिक्षण से है तथा यह रोजगार –समबद्ध कौशल प्रशिक्षण से अलग है।
- ब्याज सब्सिडी:** बैंको से प्राप्त सभी एसएचजी ऋणों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर सब्सिडी, समय पर पुनर्भुगतान पर आधारित है। किसी लाभार्थी या एसएचजी सदस्य को ब्याज पर सब्सिडी, उसके द्वारा 1.00 लाख रू0 तक के बैंक ऋण पर दी जाएगी। अनुमान है कि स्व-सहायता समूहों में सदस्यों को वित्तपोषण में दोहराव होगा और यह 1.00 लाख रू0 की सीमा, किसी सदस्य (परिवार) द्वारा प्राप्त किया गया संचयी ऋण है। किसी एसएचजी द्वारा पूंजीगत सब्सिडी के मामले में उक्त सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी।
- परिसंघों के स्थायित्व तथा दक्षता के लिए कार्पस फंड हेतु एकमुश्त अनुदान –**
  - ❖ ग्रामपंचायत स्तरीय परिसंघों के लिए 10000/- रू0
  - ❖ ब्लॉक स्तरीय परिसंघ के लिए 20000/- रू0
  - ❖ जिला स्तरीय परिसंघ के लिए 100000/- रू0

7. **प्रशासनिक व्यय:** कौशल विकास तथा रोजगार और आरएसईटीआई घटक हेतु आबंटन का 5 प्रतिशत यह राज्यों को केन्द्रीय रिलीज तथा संगत राज्य हिस्से का 5 प्रतिशत है।
8. **आधारभूत सुविधाएं तथा विपणन:** केन्द्रीय हिस्से तथा राज्य स्तरीय हिस्से अर्थात् राज्य के कार्यक्रम परिव्यय के 20 प्रतिशत तक (पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में 25 प्रतिशत)।
9. **कौशल तथा रोजगार परियोजनाएं एवं नवीनीकरण (केन्द्रीय आबंटन का 20 प्रतिशत):** नवीनीकरण

परियोजनाओं पर व्यय 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और शेष 15 प्रतिशत रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास परियोजनाओं के लिए है। रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास परियोजनाओं के लिए आबंटन (7.5 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत बहु-राज्यीय कौशल विकास परियोजनाओं हेतु केन्द्र के पास रखा जाता है और शेष राज्य विशिष्ट कौशल विकास एवं रोजगार परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित किया जाता है। राज्यों द्वारा उन्हें रिलीज की गई राशि का संगत राज्य हिस्सा उपलब्ध कराना होता है।